हरिओम बनाम अमरलाल वगै0

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 2015/00050

16.08.2022	पत्रावली पेश हुई । विद्वान् अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील दिनांक 07.10.2014 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई थी। प्रस्तुत अपील में हरिओम ही अपीलान्टगण की ओर से उपस्थित होता रहा है तथा अपीलान्टगण के अभिभाषक ने सभी अपीलान्टगण को आने हेतु मना कर रखा था तथा नियत पेशी के पूर्व ही अपीलान्ट हरिओम के गले में अल्सर हो जाने के कारण आवाज बन्द हो गयी और अपीलान्ट ईलाज करवाता रहा । इस कारण अन्य अपीलान्टगण को अथवा वकील साहब को सूचना नहीं दे सका । अपीलान्ट हरिओम ठीक होने पर आज दिनांक 23.07.2015 को वकील साहब के पास पेशी की जानकारी करने आया तो वकील साहब ने बताया कि अपील दिनांक 07.10.2014 को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमा दी गई । तब अपील के अदम हाजरी में खारिज होने की सर्वप्रथम जनकारी हुई । उक्त अनुपस्थिति बोनाफाइड है तथा क्षम्य योग्य है । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट हरिओम ही अपीलान्टगण की ओर से उपस्थित होता रहा है तथा अपीलान्टगण के अभिभाषक ने सभी अपीलान्टगण को आने हेतु मना कर रखा था तथा नियत पेशी के पूर्व ही अपीलान्ट हरिओम गले में अल्सर हो जाने के कारण आवाज बन्द हो गयी और अपीलान्ट हरिओम अपना इलाज करवाता रहा । इस कारण अन्य अपीलान्टगण को अथवा वकील साहब को सूचना नहीं दे सका । अपीलान्ट हरिओम ठीक होने पर दिनांक 23.07.2015 को वकील साहब के पास पेशी की जानकारी करने आया तो वकील साहब ने बताया कि अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गई है । जानकारी होने पर उक्त आदेश की नकल प्राप्त कर यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया है । अतः जानकारी के अभाव में प्रार्थना पत्र पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे । अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्टगण एवं उनके अभिभाषक न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 07.10.2014 को अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी एवं अदम तकमील (कमी पूर्ति) में खारिज की गई है । अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके अभिभाषकगण ने प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने हेतु कहा था, परन्तु अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में अपने अभिभाषकगण का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया है । अपीलान्टगण की जिम्मेदारी थी कि वे स्वयं अथवा उनके अभिभाषक न्यायालय हाजा में उपस्थित होते । अपीलान्ट द्वारा दिनांक 07.10.2014 के आदेश के विरूद्ध

दिनांक 24.07.2015 को रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो लगभग 11 माह के बाद पेश किया है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है और इस विलम्ब का कोई स्पष्ट व संतोषजनक कारण भी दर्शित नहीं किया है । अपीलान्टगण ने प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश किये जाने के कोई संतोषप्रद कारण भी नहीं बताए हैं । अपीलान्टगण अपने मुकदमे के प्रति लापरवाह रहे हैं । न्यायालय हाजा ने अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी तथा अदम तकमील में खारिज की है जिसके रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र भी न्यायालय हाजा में अवधि बाधित प्रस्तुत किया है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

हमने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । इस न्यायालय के द्वारा अपील दिनांक 07.10.2014 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी एवं अदम तकमील (सीपीसी के आदेश 09 नियम 5) के अन्तर्गत खारिज की गई है । न्यायालय हाजा द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में दिनांक 24.07.2015 को लगभग 09 माह से अधिक समय के बाद रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । प्रार्थना पत्र पेश किये जाने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलान्ट ने गले में अल्सर गंभीर बीमारी होना अंकित किया है परन्तु कोई संतोषजनक मेडिकल सम्बन्धी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये । हरिओम के अलावा अन्य अपीलान्ट भी हैं । अपीलान्टगण ने अपने प्रार्थना पत्र में न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की जानकारी इसलिए नहीं होना बताया है कि क्योंकि उनके अभिभाषक द्वारा प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने के लिए मना कर दिया था परन्तु प्रार्थीगण ने अपने कथन की पुष्टि में कोई साक्ष्य आदि पेश नहीं किया है । प्रार्थीगण स्वयं पक्षकार थे । अतः मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित अवधि क्षम्य नहीं है । न्यायालय हाजा द्वारा अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी के साथ अदम तकमील (आदेश 09 नियम 5) के तहत खारिज की है जिसके बारे में प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कोई विवरण अंकित नहीं किया है । इन समस्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर हम अपीलान्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत् रेस्टोरेशन अपील को स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अवधि वाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा